(टाइप कॉपी)

क्रम–संख्या–357 (ख–1)		रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0–डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 दिसम्बर, 2017 (2021 और 2023 में यथा संशोधित)
पौष 7. 1939 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3

सख्या 607/65–3–2017–01–2017
लखनऊ, 28 दिसम्बर, 2017

————————

अधिसूचना

सा०प०नि०–54

चूंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 का प्रारूप प्रभावित होने वाले समस्त संबंधित व्यक्तियों से आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 539/05–3–2017–01–2017, दिनांक 6 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और, चूंकि, उक्त प्रारूप पर पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसरण में आपत्तियों या सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है और तद्नुसार प्रारूप नियमावली में संशोधन कर दिया गया है;

अतएव, अब, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम सख्या 49 सन् 2016) की धारा 101 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017

आध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावारी उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क)''अधिनियम'' का तात्पर्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 सन् 2016) से है;

(ख)''प्रभाण–पत्र'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से है;

(ग)''रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 50 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र से है;

(घ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो

राज्य दिव्यांगता अनुसंधान समिति

3–(1) राज्य दिव्यांगता अनुसंधान समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(एक)–विज्ञान एवं चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में विस्तृत अनुभव रखने वाला एक विख्यात व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा	–अध्यक्ष
(दो)–महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक–	–पदेन सदस्य
(तीन) अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पांच दिव्यांगता समूहों में से प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले रजिस्ट्रीकृत राज्य स्तरीय संगठन से प्रतिनिधियों के रूप में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पांच सदस्य, परन्तु रजिस्ट्रीकृत संगठनों की कम से कम एक सदस्य महिला हो	–सदस्य
(चार)–निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उत्तर प्रदेश सरकार	–सदस्य सचिव

(2) अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ को भी विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित कर सकता है।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल पद धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, किन्तु नामनिर्दिष्ट सदस्य पुनः एक और कार्यकाल के लिए नामनिर्देशन हेतु पात्र होंगे।

(4) आधे सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(5) गैर सरकारी सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य, राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी या उसके समकक्ष अधिकारी के लिए यथा अनुमन्य यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता हेतु पात्र होंगे।

(6) राज्य सरकार, समिति के लिए ऐसी लिपिकीय और अन्य कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था कर सकती है जैसा कि यह आवश्यक समझे।

दिव्यांगजन शोध का विषय नही होंगे

4–किसी दिव्यांगजन को सुगम रीतियों से प्राप्त उसकी अपनी स्वतंत्र एवं संसूचित सहमति के विषय के सिवाय शोध के विषय के रूप में नहीं माना जायेगा।

अध्याय–तीन

परिसीमित संरक्षण

5–(1) जिला न्यायालय अथवा उसकी ओर से या अन्यथा के आधार राज्य सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकरण दिव्यांगजन को उसकी ओर से विधिक रूप में बाध्यकारी विनिश्चय करने के लिए परिसीमित संरक्षण का अवलम्ब प्रदान करेंगे।

(2) जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकरण, दिव्यांगजन को परिसीमित संरक्षण प्रदान

करने से पूर्व यह स्वयं समाधान करेंगे कि ऐसा व्यक्ति विधिक रूप में अपना स्वयं का बाध्यकारी विनिश्चय करने की स्थिति में नहीं है।

(3) जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकरण परिसीमित संरक्षण प्रदान करने से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के दिनांक से या ऐसे परिसीमित संरक्षण की आवश्यकता के अपने संज्ञान में आने के दिनांक से अधिमानतः एक माह की अवधि के भीतर विनिश्चय करेंगे:

परन्तु ऐसा सीमित संरक्षण प्रदान किये जाने की पूर्व परिसीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की सहमति भी प्राप्त करनी होगी।

(4) उपनियम (1) में यथा नियत परिसीमित संरक्षण की विधिमान्यता प्रारम्भिक रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे आगे यथास्थिति जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है, परन्तु जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकरण को परिसीमित संरक्षण की विधिमान्यता को बढ़ाने के दौरान उसी प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा जैसा कि प्रारम्भिक संरक्षण प्रदान करने के दौरान अनुसरण किया गया हो।

(5) ऐसे परिसीमित संरक्षण का अवलम्ब प्रदान करने के दौरान न्यायालय या अभिहित प्राधिकरण को किसी उपयुक्त व्यक्ति को सीमित संरक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित योग्यता अधिमान में विचार करना होगाः–

(क) दिव्यांगजन के माता–पिता या उसके वयस्क बच्चेः

(ख) सगे भाई अथवा बहन।

(ग) अन्य सगे नातेदान या अभिरक्षक या स्थानीय प्रमुख व्यक्ति।

(6) केवल वे व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे जो 18 वर्ष या अधिक आयु के हों और दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1974) में यथापरिभाषित किसी संज्ञेय अपराध के लिए पूर्व में दोषी न ठहराये गये हों।

(7) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किये गये परिसीमित संरक्षक को समस्त मामलों में दिव्यांगजन से उसकी ओर से कोई विधिसम्मत बाध्यकारी विनिश्चय करने से पूर्व परामर्श लेना होगा।

(8) नियुक्त किया गया परिसीमित संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगजन की ओर से किये गये विधि सम्मत बाध्यकारी विनिश्चय ऐसे दिव्यांगजन के हित में हों।

अध्याय – चार

शिक्षा

शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने से पूर्व निबंधन एवं शर्ते

6–राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की निबंधन एवं शर्तो में उक्त अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों का अनुपालन करने की अपेक्षाएं सम्मिलित होंगी।

अध्याय – पॉच

संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र हेतु या उसे प्रदान किये जाने हेतु आवेदन–पत्र

7–(1) कोई दिव्यांगजन संस्था स्थापित करने या अनुरक्षित करने का इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को इस नियमावली से संलग्न प्रारूप में आवेदन कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगेः–

(क) दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य का दस्तावेजी साक्ष्य;

(ख) संस्था को शासित करने वाला संविधान, उसकी उपविधियां या विनियम;

(ग) आवेदन के दिनांक से पूर्व अंतिम तीन वर्षो में प्राप्त अनुदानों का सम्परीक्षित विवरण और ब्यौरे;

(घ) संस्था में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या से संबंधित विवरण और उनके कर्तव्य;

(ड़) संस्था में नियोजित वृत्तिक व्यक्तियों की संख्या;

(च) संस्था द्वारा नियोजित वृत्तिक व्यक्तियों की अर्हताओं से संबंधित विवरण; और

(छ) आवेदक के निवास का प्रमाण पत्र।

(3) उपनियम (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन संबंधित संस्था से सम्बंधित निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा;

(क) यह कि संस्था आवेदन किये जाने के दिनांक से ठीक पूर्व अनधिक तीन वर्षो से दिव्यांगजन के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करती रही है;

(ख) यह कि संस्था भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और आवेदन–पत्र के साथ ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा सोसाइटी की उपविधियों एवं संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न होगी;

(ग) यह कि संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की प्रसुविधा के लिए नहीं चलायी जाती रही है;

(घ) यह कि संरथा ने दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद में रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक व्यक्तियों को नियोजित किया है;

(ड) यह कि संरथा में दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री हो।

(च) यह कि संस्था ने अपने अंतिम तीन वर्षों की सम्परीक्षित लेखा और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है।

(4) इस नियम को अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत या नवीकृत किये जाने के दिनांक को या से पांच वर्ष की अवधि के लिए तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक उसे अधिनियम की धारा 52 के अधीन प्रतिसंह्त नहीं कर दिया जाता है।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन पत्र उसी रीति से प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि उपनियम (1) के अधीन प्रमाण पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तथा ऐसा विवरण कि आवेदक प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, संलग्न कर प्रस्तुत किया जाता है।

परन्तु ऐसा आवेदन पत्र ऐसे प्रमाण पत्र की विधिमान्यता समाप्त होने के साठ दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा, परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी 60 दिन के पश्चात् किन्तु 120 दिन के अपश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु आवेदन पत्र पर विचार कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है, ऐसे विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण दिये गये हैं।

6) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु आवेदन पत्र उपनियम (5) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट रूप में उसकी समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक आवेदन पत्र पर आदेश पारित नहीं किये जाते हैं और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को समाप्त हुआ समझा जायेगा यदि उसके नवीकरण के लिए आवेदन पत्र, उक्त परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट रूप में साठ दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

(7) उपनियम (1) या उपनियम (5) के अधीन किये गये ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र का निस्तारण सक्षम प्राधिकरण द्वारा तत्पश्चात् नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जायेगा जिसमें अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकरण का यह समाधान हो जाय कि अधिनियम और इस नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृति की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

सक्षम प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील

8–रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने से इंकार करने वाले या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रतिसंहत करने वाले धारा 51 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीन माह के भीतर धारा 53 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकरण को उस आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है और अपील प्राधिकरण तत्संबंध में

ऐसी जांच जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

अध्याय–छः

दिव्यांगता प्रमाण–पत्र से संबंधित अपील

दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण के विनिश्चय के विरूद्ध अपील

9–(1) दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति विनिश्चय के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर अधिनियम की धारा–59 की उपधारा (1) के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अभिहित अपील प्राधिकरण में निम्नलिखित रीति से अपील कर सकता हैः–

(क) अपील में अपील किये जाने की संक्षिप्त पृष्ठ भूमि और उसके आधार अन्तर्विष्ट होंगे।

(ख) अपील के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति और प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अस्वीकृति पत्र संलग्न होंगे, परन्तु जहाँ कोई दिव्यांगजन अवयस्क हो या ऐसी किसी दिव्यांगता से पीड़ित हो, जिससे वह स्वयं ऐसा अपील करने में असमर्थ हो, वहॉ उसकी ओर से अपील यथास्थिति उसके विधि सम्मत या परिसीमित संरक्षक द्वारा की जायेगी।

(2) ऐसा अपील प्राप्त किये जाने पर अपीलीय प्राधिकरण अपीलार्थी को अपना वाद प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा और तत्पश्चात् ऐसे तर्कसंगत तथा विस्तृत आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(3) उपनियम (1) के अधीन किये गये प्रत्येक अपील का विनिश्चय, यथाशक्य शीघ्र और अपील प्राप्त किये जाने के दिनांक से साठ दिन की अवधि के अपश्चात् किया जायेगा।

अध्याय–सात

राज्य सलाहकार बोर्ड

राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के भत्ते

10–(1) राज्य राजधानी क्षेत्र में निवास न करने वाले राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को उक्त बोर्ड की वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रूपये के भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(2) राज्य राजधानी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को उक्त बोर्ड की वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक तथा यात्रा भत्तों का भुगतान राज्य सरकार के समूह 'क' अधिकारी हेतु अनुमन्य दर पर किया जायेगा।

बैठक की सूचना

11–(1) अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड (जिसे आगे इस अध्याय में 'बोर्ड' कहा गया है) की बैठकें राज्य की राजधानी में ऐसे दिनांकों को आयोजित की जायेंगी जैसा कि उसके अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाय, परन्तु इसकी बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार होगी।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के अन्यून दस सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बोर्ड की विशेष बैठक बुलायेगा।

(3) बैठक आयोजित किये जाने तथा कारवार सम्पादित किये जाने के समय और स्थान को विनिर्दिष्ट करते हुए किसी साधारण बैठक हेतु पन्द्रह स्पष्ट दिनों की सूचना और किसी विशेष बैठक के लिए पांच स्पष्ट दिनों की सूचना बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों को प्रदान की जायेगी।

(4) बोर्ड के सदस्यों को किसी बैठक की सूचना संदेश वाहक द्वारा परिदत्त कराकर या उनके निवास या कारवार के अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक या ई–मेल द्वारा भेजकर या ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी जैसा कि बोर्ड का अध्यक्ष विषयगत परिस्थितियों में उचित समझे।

(5) बोर्ड का कोई भी सदस्य बैठक के विचारार्थ ऐसा कोई मामला तब तक अग्रसारित

करने के लिए इकदार नहीं होगा जिसके संबंध में वह बोर्ड के सदस्य सचिव को दस स्पष्ट दिनों की सूचना न दी हो, जब तक बोर्ड का अध्यक्ष अपने विवेक पर ऐसा करने की अनुमति न दे।

(6) बोर्ड दिन प्रतिदिन या किसी विशेष दिन के लिए अपनी बैठक निम्नानुसार स्थगित कर सकता हैः–

(क) जहॉ बोर्ड की कोई बैठक दिन–प्रतिदिन के लिए स्थगित की जाती है वहॉ ऐसी स्थगित बैठक की सूचना, स्थगित बैठक स्थल पर उपलब्ध बोर्ड के सदस्यों को दी जायेगी और शेष सदस्यों को स्थगित बैठक की सूाचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा;

(ख) जहॉ बोर्ड की कोई बैठक दिन–प्रतिदिन के लिए स्थिगित न होकर बैठक के दिनांक से किसी अन्य दिनांक के लिए स्थगित की जाती है , वहॉ ऐसी बैठक की सूचना उपनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से सभी सदस्यों को दी जायेगी।

पीठासीन अधिकारी

12–बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्षता करेगा, किन्तु जब बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों किसी बैठक में अनुपस्थिति हों तो बोर्ड के उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता के लिए किसी सदस्य का निर्वाचन करेंगे।

गणपूर्ति

13–(1) किसी बैठक के लिए बोर्ड के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(2) यदि किसी बैठक हेतु नियत समय पर या किसी बैठक के प्रक्रम के दौरान बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई से कम सदस्य उपस्थित हो तो अध्यक्ष ऐसे अनुवर्ती समय या ऐसे किसी आगामी दिनांक, जैसा कि वह नियत करें, के लिए बैठक को स्थगित कर सकता है।

(3) बोर्ड के स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(4) ऐसे किसी विषय, जो यथास्थिति बोर्ड के साधारण या विशेष बैठक की कार्य–सूची में न रहा हो, के संबंध में स्थगित बैठक में विचार विमर्श नहीं किया जायेगा।

(5)–(क) जहॉ बोर्ड की कोई बैठक, उपनियम (2) के अधीन गणपूर्ति के अभाव में आगामी दिन के लिए स्थगित की जायेगी वहॉ ऐसी स्थगित बैठक की सूचना स्थगित बैठक आयोजित किये जाने वाले स्थान पर उपलब्ध बोर्ड के सदस्यों को प्रदान की जायेगी और अन्य सदस्यों को स्थगित बैठक की सूचना दिया जाना आवश्यक नही होगा; और

(ख) जहॉ बोर्ड की बैठक, उपनियम (2) के अधीन, गणपूर्ति के अभाव में अनुवर्ती दिन हेतु नहीं अपितु पर्याप्त अन्तराल सहित किसी अन्य दिनांक के लिये स्थगित की जाती है, वहॉ ऐसी स्थगित बैठक की सूचना नियम 11 के उपनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से बोर्ड के समस्त सदस्यों को दी जायेगी।

कार्यवृत्त

14–(1) बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने वाले समस्त सदस्यों के नाम और बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख उस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित की जाने वाली पुस्तिका में अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक उत्तरवर्ती बैठक के प्रारम्भ में बोर्ड की पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवृत्त का वाचन किया जायेगा और ऐसी बैठक में पीठासीन अधिकारी द्वारा पुष्टिकृत और हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) कार्यवाहियां, बोर्ड के सदस्य सचिव के कार्यलय में कार्यालय समय के दौरान बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए उपलब्ध रहेंगी।

बैठक में संव्यवहृत किया जाने वाला कारवार

15–बोर्ड की किसी बैठक में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के सिवाय ऐसा कोई कारवार संव्यवहृत नहीं किया जायेगा जिसकी प्रविष्टि कार्यसूची में न की गयी हो या जिसके संबंध में नियम 11 के उपनियम (5) के अधीन किसी सदस्य द्वारा सूचना न प्रदान की गयी हो।

राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक की कार्यसूची

16–बोर्ड की किसी बैठक में कारवार तब तक उस क्रम में संव्यवहृत किया जायेगा, जिस क्रम में कार्यसूची में प्रविष्टि की गयी हो जब तक बैठक में पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अन्यथा संकल्पित नहीं किया जाता है:

परन्तु या तो बोर्ड की बैठक प्रारम्भ होने पर या बैठक के दौरान किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श पूरा होने के पश्चात् बोर्ड का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य कार्यसूची में यथा प्रविष्ट करावार के क्रम में परिवर्तन का सुझाव दे सकता है और यदि बोर्ड का अध्यक्ष सहमत हो जाता है तो ऐसा परिवर्तन कर दिया जायेगा।

बहुमत द्वारा विश्चिय

17–बोर्ड की किसी बैठक में विचारित समस्त प्रश्नों पर विनिश्चय बोर्ड के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों के बराबर होने की दशा में यथास्थिति बोर्ड का अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड का उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

रिक्त या किसी त्रुटि के कारण कोई कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी

18 –बोर्ड की कोई कार्यवाही, बोर्ड के गठन में किसी त्रुटि या उसमें किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

जिला स्तरीय समिति

19 –उक्त अधिनियम की धारा 72 में निर्दिष्ट जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति में निम्नलिखत होंगे:–

(एक) जिला मजिस्ट्रेट	–पदेन अध्यक्ष
(दो) मुख्य विकास अधिकारी	–सदस्य
(तीन) पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	–सदस्य
(चार) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी	–सदस्य
(पॉच) मुख्य चिकित्साधिकारी	–सदस्य
(छः) बेसिक शिक्षा अधिकारी	–सदस्य
(सात) जिला विद्यालय निरीक्षक	–सदस्य
(आठ) जिला प्रोबेशन अधिकारी	–सदस्य
(नौ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत संस्था का प्रतिनिधि	–सदस्य
(दस) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (खण्डों) में यथा परिभाषित राज्य द्वारा अभिज्ञानित प्रत्येक प्रकार की दिव्यांगता से एक व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाय	–सदस्य
(ग्यारह) अध्यक्ष द्वारा यथा आमंत्रित कोई अन्य सदस्य	–सदस्य

समिति के कृत्य

20–जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थातः–

(क) जिला स्तरीय अधिकारियों को दिव्यांगजन के पुनर्वास एवं सशक्तीकरण के संबंध में परामर्श देना;

(ख) जिला स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के कियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(ग) दिव्यांगजन के सशक्तीकरण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का कियान्वयन करने में जिला स्तरीय प्राधिकारियों की सहायता करना;

(घ) अधिनियम के उपबंधों का जिला स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा कियान्वयन न किये जाने से संबंधित शिकायतों की जॉच करना और ऐसी शिकायतों का निराकरण करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को उपयुक्त उपचारार्थक उपायों की संस्तुति करना;

(ड़) अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन जिला स्तरीय अधिष्ठानों द्वारा की गयी कार्यवाही से क्षुब्ध सरकारी अधिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा की गयी अपील की जॉच करना;

(च) राज्य सरकार द्वारा यथा समनुदेशित कोई अन्य कृत्य करना।

अध्याय–आठ
दिव्यांगजन राज्य आयुक्त

राज्य आयुक्त की नियुक्ति की अर्हता

1{21–(1) कोई व्यक्ति राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त के लिये तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि–

(क) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक न हो;

परन्तु यह कि सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंधन या मानव अधिकार या पुनर्वास या दिव्यांगजन शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा धारण करने वाले व्यक्ति को अधिमान प्रदान किया जायेगा;

(ख) वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या दिव्यांगता या सामाजिक क्षेत्र में संबंधित मामलों को व्यवहृत करने वाले किसी अर्द्ध सरकारी या स्वायत्तशासी निकाय में समूह ''क'' स्तरीय पद पर अथवा दिव्यांगता या सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन में ज्येष्ठ स्तर के कृत्यकारी के रूप में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव धारित न कर लेः

परन्तु यह कि पन्द्रह वर्ष के कुल अनुभव में से उसके पास दिव्यांगजन के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए; और

2{(ग) वह भर्ती वर्ष के 1 जनवरी को अधिकतम उनसठ वर्ष का न हो।}}

(2) यदि कोई व्यक्ति राज्य आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है और वह केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में है तो उसे राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किये जाने से पूर्व ऐसे पद से सेवानिवृत्त होना होगा।

राज्य आयुक्त की नियुक्ति की रीति

22–(1) कम से कम छः माह पूर्व राज्य आयुक्त का पद रिक्त होना देय होने के पूर्व नियम 21 में उल्लिखित मानदण्ड पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से राज्य आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए विज्ञापन कम से कम दो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में एक अंग्रेजी में और दूसरा जन भाषा में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) खोजबीन–सह–चयन समिति का गठन, राज्य आयुक्त के पद हेतु मात्र तीन उपयुक्त अभ्यर्थियों के पैनल की संस्तुति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छानबीन–सह–चयन समिति की संरचना किया जाना, राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी सुसंगत अनुदेशों द्वारा शासित होगा।

1- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 शासनादेश संख्या–521/65–3–2021–01–2017 लखनऊ दिनांक 02.12.2021 द्वारा प्रतिस्थापित

2- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 शासनादेश संख्या–133/65–3–2023–01–2017 लखनऊ दिनांक 26.04.2023 द्वारा प्रतिस्थापित

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छानबीन–सह–चयन समिति द्वारा संस्तुत पैनल में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हो सकते है जो उपनियम (1) के अधीन किये गये विज्ञापन के फलस्वरूप आवेदन किये हों और केन्द्र या राज्य सरकार में नियोजित ऐसे अन्य इच्छुक पात्र व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्हें समिति उपयुक्त समझे।

(5)–राज्य सरकार उपनियम (2) के अधीन छानबीन–सह–चयन समिति द्वारा संस्तुत पैनल में से एक अभ्यर्थी को राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी।

राज्य आयुक्त का कार्यकाल

1{23–(1) राज्य आयुक्त, पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जायेगा। कोई व्यक्ति एक कार्यकाल के लिये ही राज्य आयुक्त के रूप में सेवा कर सकता है।**}**

राज्य आयुक्त का वेतन और उसके भत्ते

24–(1) राज्य आयुक्त का वेतन और उसके भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार के प्रमुख सचिव को अनुमन्य हैं (अर्थात् सप्तम सी0पी0सी0पे–मैट्रिक्स का स्तर 15)

(2) जहॉ कोई राज्य आयुक्त, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक हो अथवा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी संस्था या स्वायत्तशासी निकाय का सेवानिवृत्त कर्मचारी हो और अपनी पूर्व की सेवा से पेंशन प्राप्त कर रहा हो, वहॉ इस नियमावली के अधीन उसे अनुमन्य वेतन की धनराशि में से पेंशन की धनराशि कम कर दी जायेगी और यदि उसने पेंशन के भाग के बदले ले लिया हो तो उसका परिवर्तित मूल्य पेंशन के ऐसे परिवर्तित भाग की धनराशि द्वारा उसका परिवर्तित मूल्य कम कर दिया जायेगा।

राज्य आयुक्त की सेवा अन्य निबंधन एवं शर्ते

25–राज्य आयुक्त की सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें निम्नलिखित होंगीः–

(क) <u>अवकाश</u>

राज्य आयुक्त ऐसे अवकाश के लिए हकदार होगा जैसा कि समूह 'क' के अधिकारियों के लिए लागू राज्य सिविल सेवा नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अधीन उन्हें अनुमन्य है।

(ख) <u>अवकाश यात्रा सुविधा</u>

राज्य आयुक्त ऐसी अवकाश यात्रा सुविधा के लिए हकदार होगा जैसा कि समूह 'क' के अधिकारियों के लिए लागू राज्य सिविल सेवा नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अधीन उन्हें अनुमन्य है।

(ग) <u>चिकित्सा प्रसुविधाएं</u>

राज्य आयुक्त ऐसी चिकित्सा प्रसुविधाओं के लिए हकदार होगा जैसा कि समूह 'क' के अधिकारियों के लिए लागू राज्य सिविल सेवा नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अधीन उन्हें अनुमन्य है।

त्याग पत्र और हटाया जाना

26–(1) राज्य आयुक्त, राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित नोटिस द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।

(2) राज्य सरकार राज्य आयुक्त को उसके पद से हटा सकती है यदि वह–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो; या

(ख) अपने पद की अवधि के दौरान किसी वैतनिक रोजगार में स्वयं को लगाता हो या अपने पद के कर्तव्यों के परे क्रिया कलाप करता हो; या

(ग) ऐसे किसी अपराध, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता में सम्मिलित है, के लिए दोष सिद्ध हो और कारावास का दण्डादेश पाया हो; या

(घ) राज्य सरकार की राय में, अधिनियम में यथा निर्धारित अपने कृत्यों के संपादन में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य या गंभीर दोष के कारण पद पर बने रहने के योग्य न हो; या

1–दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 शासनादेश संख्या–133/65–3–2023–01–2017 लखनऊ दिनांक 26.04.2023 द्वारा प्रतिस्थापित

(ड.) राज्य सरकार से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किये बिना, निरन्तर पन्द्रह दिन या उससे अधिक अवधि के लिए अपने ड्यूटी से अनुपस्थित हो; या

(च) राज्य सरकार की राय में, राज्य आयुक्त के पद का इस रूप में दुरूपयोग किया हो कि दिव्यांगजन के हित में उसका पद पर बना रहना अहितकर हो :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन नैसर्गिक न्याय के सम्यक् सिद्धान्तों का अनुसरण करने के सिवाय किसी राज्य आयुक्त को उसके पद से हटाया नहीं जायेगा।

(3) राज्य सरकार ऐसे राज्य आयुक्त को निलम्बित कर सकती हैं जिसके संबंध में उपनियम (2) के अनुसार हटाये जाने की कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गयी हों और ऐसी कार्यवाहियों का निर्णय लम्बित हो।

अवशेष उपबंध

27—राज्य आयुक्त की अन्य सेवा शर्तों, जिनके संबंध में इस नियमावली में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, का अवधारण राज्य सरकार के सचिव के लिए तत्समय लागू नियमावली और आदेशों द्वारा किया जायेगा।

सलाहकार समिति का गठन

28—(1) राज्य सरकार एक सलाहकार समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः—

(क) अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित पांच विनिर्दिष्ट दिव्यांगता समूह में से प्रत्येक दिव्यांगता समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन विशेषज्ञ, चक्रानुक्रम द्वारा जिनमें से एक महिला होगी;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने हेतु सरकार के दो विशेषज्ञ या ज्येष्ठ अधिकारीगण।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) राज्य आयुक्त आवश्यकता के अनुसार विषय या क्षेत्र विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकता है जो बैठक या सुनवाई में और रिपोर्ट तैयार करने में उसकी सहायता करेगा।

राज्य आयुक्त द्वारा अनुसरण किये जाने की प्रकिया

29—(1) परिवादी, निम्नलिखित विवरणों को समाविष्ट करते हुए कोई परिवाद व्यक्तिगत रूप से या अपने अभिकर्ता द्वारा राज्य आयुक्त को प्रस्तुत कर सकता है अथवा इसे राज्य आयुक्त को सम्बोधित करके डाक द्वारा या ई—मेल द्वारा प्रेषित कर सकता है, अर्थातः—

(क) परिवादी का नाम, विवरण और पता;

(ख) यथास्थिति विरोधी पक्षकार या पक्षकारों का/के नाम, विवरण और पता जहाँ तक उन्हें अभिनिश्चित किया जा सके;

(ग) परिवाद से संबंधित तथ्य और कब तथा कहाँ यह उत्पन्न हुआ;

(घ) परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेज;

(ङ) अनुतोष, जिसका परिवादी दावा करता है।

(2) राज्य आयुक्त, किसी परिवाद की प्राप्ति पर, परिवाद की एक प्रति, परिवाद में उल्लिखित विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को यह निदेश देते हुए भेजेगा कि वह तीस दिनों की अवधि के भीतर या अनधिक पन्द्रह दिनों की अवधि, जैसा कि राज्य आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जाय, के भीतर उक्त मामले में अपना बयान दे दे ।

(3) सुनवाई के दिनांक को या ऐसे किसी अन्य दिनांक, जिस दिनांक को सुनवाई स्थगित की जाय, को पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं को राज्य आयुक्त के समक्ष उपस्थित होना होगा।

(4) जहाँ परिवादी या उसका अभिकर्ता ऐसे दिवसों पर राज्य आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने में विफल हो जाय, वहाँ राज्य आयुक्त त्रुटि होने पर परिवाद को या तो खारिज कर सकता है या गुण—दोष के आधार पर विनिश्चय कर सकता है।

(5) जहाँ विरोधी पक्षकार या उसका अभिकर्ता सुनवाई के दिनांक को उपस्थित होने में विफल हो जाय वहाँ राज्य आयुक्त अधिनियम की धारा 82 के अधीन ऐसी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है जैसा कि वह विरोधी पक्षकार की उपस्थिति आहूत करने और प्रवर्तित

करने के लिए उचित समझे।

(6) राज्य आयुक्त, आवश्यक होने पर, परिवाद का निपटारा एक पक्षीय कर सकता है।

(7) राज्य आयुक्त, ऐसे निबंधनों पर जैसा कि वह उचित समझे और कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में, परिवाद की सुनवाई स्थगित कर सकता है।

(8) राज्य आयुक्त, विरोधी पक्षकार द्वारा नोटिस प्राप्त किये जाने के दिनांक से 90 दिनों की अवधि के भीतर, यथा संभव परिवाद का विनिश्चय करेगा।

राज्य आयुक्त की सहायता करने के लिए सलाहकार समिति

30–(1) राज्य सरकार, अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट पांच दिव्यांगता समूहों में से प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाँच विशेषज्ञों से समाविष्ट एक सलाहकार समिति, जिसमें दो महिला होंगी, नियुक्त करेगी;

(2) राज्य आयुक्त आवश्यकतानुसार विषय या क्षेत्र विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है जो बैठक या सुनवाई में और रिपोर्ट तैयार करने में उसकी सहायता करेगा।

(3) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और सदस्य पुनः नामनिर्देशन हेतु पात्र नहीं होंगे।

(4) राज्य की राजधानी में निवास कर रहे, सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को वास्तवित बैठक के लिए प्रतिदिन दो हजार रूपये के भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(5) राज्य की राजधानी में निवास न कर रहे, सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को, राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी के लिए अनुमन्य दर से वास्तवित बैठकों के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक और यात्रा भत्तों का भुगतान किया जायेगा ।

वार्षिक रिपोर्टो का प्रस्तुत किया जाना

31–(1) राज्य आयुक्त, यथाशक्य शीघ्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किन्तु अगले आगामी वर्ष मे 30 सितम्बर के अपश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया–कलापों का पूर्ण विवरण देते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) विशेष रूप से, उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट प्रपत्र में होगा, जिससे कि पृथक पृथक शीर्षकों के अधीन पृथक पृथक मामलों का विवरण तथा उसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित प्रत्येक मामले से सम्बन्धित सूचना के साथ प्रस्तुत किया जा सके, अर्थातः–

(क) राज्य आयुक्त के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारिवर्ग के नाम और संगठनात्मक गठन को दर्शाता हुआ एक चार्ट;

(ख) ऐसे कृत्य, जिनके लिए राज्य आयुक्त को अधिनियम के अधीन सशक्त किया है और इस संबंध में निष्पादन की विशिष्टताएं;

(ग) राज्य आयुक्त द्वारा बनायी गयी मुख्य संस्तुतियॉ;

(घ) राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन में की गयी प्रगति; और

(ङ) राज्य आयुक्त द्वारा रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने हेतु उपयुक्त समझा गया या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उसमें सम्मिलित किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट कोई अन्य मामला ।

अध्याय नौ
लोक अभियोजक

लोक अभियोजक की नियुक्ति

32–(1) प्रत्येक विशेष न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले लोक अभियोजक के पास निम्नलिखित होंगेः–

(क) दिव्यांगजन के मामलों को नियंत्रित करने का व्यवहारिक अनुभव;

(ख) अन्यून पांच वर्ष का बार का अनुभव;

(ग) स्थानीय भाषा और रीति रिवाजों से भली–भांति प्रवीण हो।

(2) अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त, विशेष लोक अभियोजक की फीस और अन्य पारिश्रमिक वही होंगे जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता,

1973 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1974) के अधीन किसी सत्र न्यायालय के समक्ष मामलों का संचालन करने के लिये, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक के लिये होगी।

अध्याय–दस
दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि

दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि और उसका प्रबन्धन

33–(1) दिव्यांगजनों के लिये राज्य निधि, जिसे एतद्पश्चात् 'राज्य निधि' कहा गया है, में निम्नलिखित जमा होंगीः–

(क) अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयतों या अन्तरणों के माध्यम से प्राप्त समस्त धनराशियां;

(ख) सहायता अनुदान सहित राज्य सरकार से प्राप्त समस्त धनराशियां; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चत ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशियां।

(2) राज्य निधि के प्रबंधन हेतु एक शासी निकाय होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः–

(क) प्रमुख सचिव या सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	–अध्यक्ष / अध्यक्षा
(ख) राज्य सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, नियोजन विभाग, वित्त विभाग, ग्राम्य विकास विभाग के वर्णमाला के अनुसार चक्रानुक्रम में, दो प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव से निम्न न हो;	–सदस्य
(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगता का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्रानुक्रम में दो व्यक्ति	–सदस्य
(घ) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय, राज्य सरकार।	–संयोजक / कार्यपालक अधिकारी

(3) शासी निकाय जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(4) नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष से अनधिक के लिये पदधारण करेंगे।

(5) शासी निकाय का कोई सदस्य, पदधारण अवधि के दौरान, निधि का लाभग्राही नहीं होगा।

(6) नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्य शासी निकाय की बैठकों में प्रतिभाग करने के लिये, राज्य सरकार के समूह 'क' अधिकारी के लिये यथा अनुमन्य यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता के संदाय के लिये पात्र होंगे।

(7) कोई व्यक्ति उपनियम (2) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन शासी निकाय के किसी सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा, यदि वह–

(क) किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध हो या किया गया हो, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता के अन्तर्गत आता हो;

(ख) दिवालिया हो या किसी समय दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया हो।

राज्य निधि का उपयोग

34–(1) राज्य निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, अर्थातः.–

(क) उन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता जो विशेष रूप से राज्य सरकार के किसी योजना और कार्यक्रम के अधीन आच्छादित नहीं है;

(ख) निधि के प्रशासनिक और अन्य व्यय, जिन्हें अधिनियम द्वारा या तद्धीन उपगत किया जाय; और

(ग) शासी निकाय द्वारा विनिश्चित किये गये अन्य प्रयोजन।

(2) व्यय का प्रत्येक प्रस्ताव अनुमोदन के लिए शासी निकाय के समक्ष रखा जायेगा।

(3) शासी निकाय लिपिकीय राज्य निधि के प्रबंधन और उपयोग का पर्यवेक्षण करने हेतु आवश्यकता के आधार पर ऐसे शर्त और निबंधनों के साथ लेखाकारों सहित लिपिकीय कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति कर सकता है।

(4) राज्य निधि में विनिधान ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि शासी निकाय द्वारा विनिश्चित किया जाय।

बजट

35—राज्य निधि का मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक वर्ष जनवरी में, निधि की आंकलित प्राप्ति और व्यय प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य निधि के अधीन व्यय उपगत करने के लिए बजट तैयार करेगा और उसे शासी निकाय के समक्ष विचार करने के लिए रखेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

36—राज्य सरकार में दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण से संबंधित विभाग की वार्षिक रिपोर्ट मे राज्य निधि पर एक अध्याय सम्मिलित करेगा।

आज्ञ से,
महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

प्रपत्र

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

{नियम 7 (1) देखें}

1— आवेदक का नाम और उसका पता.....
..

2— संस्था जिसके संबंध में आवेदन किया जायः

(क) नाम.....
.....

(ख) पता (कार्यालय / परियोजना.....
.....

(ग) फोन / फैक्स / टेलेक्स / (कार्यालय).....
.....

(परियोजना)

3— (एक) अधिनियम का नाम, जिसके अधीन संस्था पहले से रजिस्ट्रीकृत है.....
.....

(दो) रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण का दिनांक.....
.....

(कृपया छायाप्रति संलग्न करें)

4– संस्था का संगम ज्ञापन और उपविधियां.....
.....

(कृपया छायाप्रति संलग्न करें)

5– संस्था के प्रबंध बोर्ड/शासी निकाय के सदस्यों का नाम, पता, व्यवसाय और अन्य विशिष्टयां.....
.....
.....

6– सस्था का वर्तमान किया कलाप.....
.....

7– संस्था की वर्तमान सदस्यता संख्या और श्रेणीकरण। संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः

(क) गत वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति;

(ख) अंतिम दो वर्षों हेतु चार्टड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित संपरीक्षित लेखा विवरण

(एक) रसीद और भुगतान खाता (अंतिम दो वर्ष के लिए चार्टड एकाउंटेंट द्वारा)

(दो) आप और व्ययक खाता (अंतिम दो वर्ष के लिए चार्टड एंकाउंटेंट द्वारा)

(तीन) अंतिम दो वर्ष के लिए तुलन पत्र (अंतिम दो वर्ष के लिए चार्टड एकाउंटेंट द्वारा)

(ग) संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारिवर्ग का विवरण

(घ) संस्था के.....द्वारा आच्छादित किये जाने वाले लाभार्थियों का विवरण

(ड.) यदि छात्रावास अनुरक्षित किया गया है तो छात्रावास करने वालों की संख्या

(च) अन्य निबंधन, यदि कोई हों।

(छ) क्या संस्था अपने स्वयं के/भाड़े पर लिये गये भवन पर अवस्थित है (आवश्यक साक्ष्य संलग्न करें)

नामः–.....

पदनामः–..... आवेदक का हस्ताक्षर

पताः–.....

दिनांकः–.....

कार्यालय मुहरः–.....